


13/6/19

वकुलाय प्यारीकेत अस्थित हैं। बाद का निर्णय
हो चुका है। ऐसे में काइ इस प्र. फा. फा.
किन्ही मापवाही की आवश्यकता नहीं है।

कैतः प्र. फा. कृषि धारा 212
RFAएक्ट रकारिज किजा जाता है। पकपकी
निर्णय मे सुचार होमा नम्बर से कम हो
तथा बाद तामील तामील दारिफिल दणतर
हो।


उपखण्ड अधिकारी
आनपुर विभा इलाहाबाद
(उपस्थान)